न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 76/2019

अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

गंगाराम आत्मज मुला गाडरी निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

देवा आत्मज कजोड़ बैरवा निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 29.11.2019

प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढोसर, पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित प्रार्थी एवं विपक्षी एवं वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1220 रकबा 0.40 हे0 गै0मु0 पाल, 1221 रकवा 0.88 हे0, 1222 रकबा 0.92 हे0, 1223 रकबा 0.62 हे0, 1224 रकवा 0.66 हे0 ,1448 रकवा 0.16 हे0 गै0मु0 पाल, 1712 रकबा 0.01 हे0 गै0मु0 बावड़ी कुल किता 7 रकबा 3.65 हे0 भूमि वर्तमान खाता संख्या 57 पर स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में मुझ प्रार्थी का 1/9 हिस्सा निहित है तथा चम्पालाल गाडरी का 1/9 हिस्सा, गोपीलाल का आराजी संख्या 1712 में 1/9 हिस्सा, काना बैरवा का 1/6 हिस्सा, भैरू , चम्पा बैरवा 1/6 हिस्सा , भगवतसिंह का आराजी संख्या 1712 को छोड़ कर शेष सभी आराजियात में 1/9 हिस्सा, विपक्षी देवा का 1/12 हिस्सा व उदा बैरवा का 1/12 हिस्सा निहित है।

यह कि विपक्षी प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजियात का बिना विधिवत रूप से विभाजन कराये ही वादग्रस्त आराजियात में निहित हिस्से की अधिक भूमि पर जबरन ताकत के बल पर तारबंदी करने एवं उसमें खड़े हरे वृक्षो को काटने पर आमादा हो रहा है। जिससे विपक्षी के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षी उक्त अंकित आराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तबतक विपक्षी उक्त आराजियात के किसी प्रकार का कोई तारबंदी नहीं करें तथा न ही उक्त आरजियात में खड़े हरे वृक्षों को नहीं काटे। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2019 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । वर वक्त सुनवाई प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित [illegible] अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वर वक्त बहस प्रार्थना पत्र [illegible] तथा प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:11:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला बनता पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित अर्थात् ग्राम कोशर, पटवार हल्का कोशर तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित प्रार्थी एवं विपक्षी एवं वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1220 रकबा 0.40 है0 गै0मु0 घास, 1221 रकबा 0.38 है0, 1222 रकबा 0.92 है0, 1223 रकबा 0.62 है0, 1224 रकबा 0.66 है0, 1448 रकबा 0.16 है0 गै0मु0 घास, 1712 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 बावड़ी कुल किता 7 रकबा 3.65 है0 भूमि में विपक्षी उक्त अंकित आराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तबतक विपक्षी उक्त आराजियात के किसी प्रकार का कोई तारबंदी नहीं करें तथा न ही उक्त आराजियात में खड़े हरे वृक्षों को काटे। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली मूलवाद के साथ संग्रह की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner